The Constitution (Amendment) Bill, 2003 (Insertion of New Article 371J)

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY (Karnataka): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Sir, I introduce the Bill.

The Constitution (Amendment) Bill, 2003 (To amend Article 202)

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion wad adopted.

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Dr. T Subbarami Reddy -not present.

Now, we will take up further discussion on the Constitution (Amendment) Bill, 1999. Shri Mool Chand Meena.

The Constitution (Amendment) Bill, 1999 (Inert**ion of New Article 21 A)-contd.**

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, कंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 1999 जो श्री संतोष बागडोदिया जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह एक आवश्यकता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आदमी की एकांतता बहुत आवश्यक है। आज ही नहीं पहले भी आदमी एकांत ही रहना चाहता था। हमारा पौराणिक इतिहास बतलाता है कि वनवास के दौरान रामचंद्र जी भी सीता जी के साथ एकांत वास करते थे। राजा-महाराजा भी अपनी एकांतता सुरक्षित रखते थे। लेकिन आज कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी निर्दोष आदमी को भी, यदि वह दोषी है तब तो उसको गिरफ्तार करें, उसका अखबारों में प्रचार करें वहां तक तो ठीक है, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को केवल एक आंशिक सूचना और संदेह के ऊपर प्रताड़ित करना और यदि वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपनी पत्नी के साथ कमरे में है तो संदिग्ध सूचना के आधार पर हम उसकी पत्नी के सामने उस कमरे में घुस जाएं और उस वक्त कमरे में वह किस अवस्था में होगे इस चीज को वे लोग नहीं सोचते है। ऐसी घटनाएं भी कई बार सामने आती है। इसलिए आंशिक सूचना के आधार पर यदि हम किसी आदमी के खिलाफ कार्रवाई करते है तो निष्पक्ष जाचं होती है उसमें संदेह पैदा हो जाता है और निर्णय